



2026:AHC:128620

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 21114/2026

वेद प्रकाश

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: महेनम हारून, राजेश कुमार यादव

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0206/2022, भा.द.सं. की धारा 302, 201, 120-बी, 420, 34, थाना- रेहड़ा, जिला- अमरोहा में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. सर्वप्रथम, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में नहीं था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तगण, अर्थात् कमल सिंह, सुनील, प्रेम शंकर तथा ओम प्रकाश को इस न्यायालय की सह-पीठ द्वारा क्रमशः दिनांक 06.05.2026, 24.03.2026, 11.05.2026 तथा 01.05.2026 के आदेशों द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 10510/2026, 10027/2026, 14953/2026 तथा 14658/2026 में पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। जमानत आदेशों की प्रति जमानत आवेदन के पृष्ठ संख्या 117

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से 128 पर संलग्न की गई है। इन परिस्थितियों में, आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, किंतु उचित रूप से यह स्वीकार किया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तगण, अर्थात् कमल सिंह, सुनील, प्रेम शंकर तथा ओम प्रकाश को पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करते हुए तथा एफ.आई.आर. एवं अन्य सुसंगत दस्तावेजों की विषय-वस्तु का अवलोकन करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा सुविचारित मत है कि आवेदक जमानत का मामला बनाता है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।

6. पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक- **वेद प्रकाश** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध कारित नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा, जिसका उस पर अभियोग है, या जिसके कारित करने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दायर करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा, जब न्यायालय में गवाह उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। बिना पर्याप्त कारण के उसकी अनुपस्थिति की स्थिति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 229-ए (तत्स्थानिक बी.एन.एस. की धारा 269) के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है।

(v) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82 (तत्स्थानिक बी.एन.एस. की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार भा.द.सं. की धारा 174-ए (तत्स्थानिक बी.एन.एस. की धारा 209) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) वाद शुरू होने, (2) आरोप विरचित करने और (3) दं.प्र.सं. की धारा 313 (तत्स्थानिक बी.एन.एस. की धारा 351) के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करना खुला होगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी)

22 जून, 2026

मनोज